न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान अमरचंद बनाम विरभान आदि

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट क्रमांक /2023

नांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त अपील न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रकरण अनवानी वीरभान बनाम बलराम आदि प्रकरण संख्या 87/2022 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित निर्णय दिनांक 19.12.2022 के विरूद्ध बतौर प्रभावित पक्षकार प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 विरभान को कृषि भूमि चक 20 एनडीआरए की 2.340 है0 भूमि में सिंचाई हेतु पाईप लाईन ले जाने हेतु चक 20 एनडीआर की 8.125 है0 व चक 20 एनडीआर 'ए' के 0.176 है0 गैरमुमकिन रास्ता में 6 फुट नीचे पाईप लाईन डालने की स्वीकृति डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आधार पर जारी की है। अपीलाण्ट ने बतौर प्रभावित पक्षकार धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके यह अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थना–पत्र में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार बताया है। विचारण न्यायालय ने रास्ता की भूमि में भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति दी है व उक्त पाईप लाईन 6 फुट गहरी डालने का आदेश जारी किया है। अपीलाण्ट ने उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार होना बताया है परन्तु रास्ता की भूमि में भूमिगत पाईप डालने से अपीलाण्ट किस आधार पर प्रभावित पक्षकार यह कोई कथन नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 2020 पेज 569 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अपीलाण्ट को यह साबित करना होगा कि वह निर्णय या डिक्री से किस प्रकार प्रभावित है। विचारण न्यायालय ने गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में 6 फुट निचे भूमिगत पाईप डालने की स्वीकृति प्रदान की है। रास्ता की भूमि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में अपीलाण्ट का कोई हित नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट को प्रभावित पक्षकार होना नहीं माना जा सकता है। अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील अपीलाण्ट भी खारिज की जाती है। रेस्पोडेण्ट विचारण न्यायलाय द्वारा दिये गये निर्देशों की विधिवत पालना करे व भूमिगत पाईप लाईन डालने के पश्चात् रास्ता को समतल करे। इसी अनुसार पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

18/5/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़